By Speed Post



भा. कृ. अनु. प. – केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान ICAR - Central Arid Zone Research Institute जोधपुर (राजस्थान) 342 003/Jodhpur (Rajasthan) 342 003 Website: www.cazri.res.in, Email: director.cazri@icar.gov.in Phone No. 0291 - 2786584 / FAX: 0291 - 2788706



F.No. 7(2) Pruning of Ber Trees /2024-25/Adm.V

Dated:09.04.2024

Work Contract for pruning of ber trees at ICAR-CAZRI, Jodhpur.

1.	Last date and time for submission of tender	:	23.04.2024 up to 03.00 p.m.
2.	Date and time for opening the tender	:	23.04.2024 at 03.30 p.m.

- Date and time for opening the tender 2
- Note: The tender form and other details are available on CAZRI website www.cazri.res.in The interested Agency/Contractor/firm of repute may download the tender document from CAZRI official website and submitted the ADMN-V, CAZRI, Jodhpur office by or before the due date & time.

From:-

Assistant Administrative Officer, Adm-V, CAZRI, Jodhpur 342 003

To

In-charge, AKUM, CAZRI, Jodhpur for uploading on CAZRI Website.

Sub:-Tender Document for Work Contract for pruning of ber trees at ICAR-CAZRI, Jodhpur on contract basis under Institute - regd.

Sir.

On behalf of the Director, CAZRI, Jodhpur sealed tenders are invited from interested Agency/Contractor/firm of reputefor for pruning of ber trees at ICAR-CAZRI, Jodhpur on contract basis under Institute". Other details and Terms & Conditions are enclosed herewith as Annexure-I & II.

2. The tender must be submitted to this Office by or before Due Date i.e. 23.04.2024 up to 03.00 P.M. by Courier/Registered Post/Speed Post in sealed cover, failing which it will not be considered.

3. The Tender is to be opened on Due Date i.e. 23.04.2024 at 03.30 P.M. at CAZRI, Jodhpur.

ours faithfully. ADMINISTRTIVE OFFICER For DIRECTOR

Encl: As above {Annexure-I & II}

तकनिकी बिड

Annexure-J

(प्रपत्र- अ)

फर्म/ठेकेदार का विवरण

1.	निविदादाता ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी के प्रोप्राईटर का नाम :						
2.	निविदादाता ठेकेदार/फर्म/एजेन्स का नाम व पता						
	मैसर्स						
3.	(अ) टेलीफोन नं. कार्यालयः	निवासः	मोबाइल नं				
	(ब) ई.मेल पता ः						
4.	ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी का विवरण						
	(साझेदारी डीड⁄संविधान यदि सोसाइटी है तो)						
5.	अधिकृत डीलरषीप⁄एजेंसी का प्रमाणपत्र नम्बर	:					
6.	आयकर विभाग द्वारा निर्गत पैन (PAN) नम्बर	:					
7.	जी,एस,टी, संख्या / सर्विस टैक्स नम्बर	:					
8.	फर्म/टेकेदार के बैंक का नाम व पता :						
	बैंक का आई.एफ.एस.सी. कोड नम्बर:	बैंक खाता नम्बर :					
	यदि डी.डी. / बैंकर चैक है तो ICAR Unit-CAZRI, के पक्ष में						
9.	घरोहर राशि (Earnest Money Deposit): nil						

डी.डी./बैंकर चैक नं.वंना त्रा. व्यक का नाम

- 10. निविदा प्रपत्र को बिना कांट—छांट के साफ—सुथरा भर कर मोहर सहित हस्ताक्षर कर स्वयं/अधिकृत प्रतिनिधि/पंजीकृत डाक/त्वरित डाक/कोरियर डाक द्वारा देय तिथि 25.04.2023 को दोपहर 03.00 बजे तक निदेशक, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंघान संस्थान, जोधपुर के नाम प्रशासन खण्ड—पंचम् के टेन्डर बोक्स में डलवावें। लिफाफे पर pruning of ber trees at ICAR-CAZRI, Jodhpur on contract basis under Institute लिखा होना चाहिए अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 11- विस्तृत जानकारी हेतु देंखें काजरी वेबसाइटः www.cazri.res.in

421 11MU

Ravi Kuma

ठेके की सामान्य शर्तें एवं नियम–

- ठेकेदार स्वयं उपस्थित होकर कार्य स्थल का जायजा कार्यालय समय के दौरान ले सकते हैं । 1.
- निविदा भरते समय ठेकेदार अपना पैन (PAN) नम्बर/जीएसटी (GST) नम्बर अवश्य लिखें एवं प्रमाण पत्र की फोटो 2. प्रतिलिपि संलग्न करें अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी ।
- निविदा पूर्ण विवरण सहित भरी जानी चाहिए । अधुरी कॉट–छॉट और अस्पष्ट निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी । 3.
- सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी । 4
- बिना हस्ताक्षर के निविदा मान्य नही होगी । 5.
- ठेकेदार / फर्म को वाणिज्य या अन्य संबंधित अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है। (If applicable) 6
- ठेकेदार को अपने श्रमिकोंकी सूची फार्म अधीक्षक / पी०आई० को प्रस्तुत करनी होगी । 7. 8.
- ठेकेदार/फर्म द्वारा लगाए गए श्रमिकों का चरित्र अच्छा होना चाहिए, सभी श्रमिकों को हिन्दी में बातचीत करने का यथा सम्भव ज्ञान होना चाहिए ।
- ठेकेदार / फर्म को ठेका कार्य की आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त मात्रा में मजदूरों की व्यवस्था करनी होगी। संविदा कार्यो के 9. लिए मॉग-कर्ता (इन्डेन्टर/पी०आई०) को कार्य की आवश्यकतानुसार सभी सुविधाएँ उपलब्ध करानी होगी। कार्य विभाग के वैज्ञानिक, तकनीकी अधिकारी, सुपर–वाइजर के निर्देशानुसार सन्तोषजनक ढंग से सम्पन्न करना होगा । 10.
- फार्म में करवाए जाने वाले कृषि एवं कार्य की मात्रा में कमी/बढोतरी की जा सकती हैं।
- 11. ठेकेदार द्वारा सही पद्धति से/संतोषजनक संविदा कार्य नही होने पर/असंतोषजनक कार्य की शिकायत पर अथवा ठेका कार्य के दौरान किसी भी श्रमिक का कार्य या व्यवहार संतोषजनक नहीं होने पर पी.आई. द्वारा इस संबंध में शिकायत करने पर तुरन्त प्रभाव से श्रमिक को बदलना होगा / वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। कार्य को उचित निर्देशानुसार संतोषजनक ढंग से करना होंगा। असंतोषजनक कार्यों पर उचित कटौती की जाएगी। यदि ठेकेदार/फर्म कार्य कि नियम व शर्तों व कार्य की आवश्यकता के अनुसार श्रमिकों की व्यवस्था करने में असमर्थ रहता है तो ठेका कार्य को बिना कारण बताए/बिना पूर्व सूचना के बिना रदद करने का/अन्य वैकल्पिक व्यवस्था करने का/सुरक्षा राशि जब्त करने का, अधिकार निदेशक,
- ठेकेदार / फर्म की जिम्मेदारी होगी कि उसके मजदूर सरकारी सम्पति को किसी प्रकार का नुकसान न पहुँचाए। होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति / भरपाई ठेकेदार को करनी होगी ।
- जार्म/प्रोजेक्ट क्षेत्र में चल रहे अनुसन्धान, फसल इत्यादि की बाहरी जॅगली जानवरों से रक्षा हेतु व्यवस्था करनी होगी। 13.
- 14. कार्य निर्धारित अवधि में पूरा करना होगा ।
- 15. अनुसंधान क्षेत्र / प्रोजेक्ट क्षेत्र के भीतर कोई भी आदमी या जानवर बिना अनुमति के नहीं आना चाहिए एवं फेंसिंग/अनुसंधान सामग्री को कोई क्षति/नुकसान नहीं होना चाहिए। यदि कोई क्षति/नुकसान होता है तो उसका खर्च
- कार्यावधि में ठेकेदार के किसी श्रमिक/मजदूर इत्यादि को सॉप, बिच्छु या किसी जहरीले जानवर के काटे जाने या 16. दुर्घटनाग्रस्त होने पर संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। 17.
- भुँगतान समय–समय पर जो एक्टीविटी पूर्ण होगी उसका भुगतान संबंधित पी0आई0/वैज्ञानिक/अधिकारी के द्वारा बिल को
- 18. ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी को अपने श्रमिकों को भारत सरकार/राज्य सरकार के नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी इनमें से जो भी अधिक हो, देनी होगी । सभी श्रमिक कानून व नियमों जैसे-ESI/EPF/GST/Service Tax etc. यदि ये प्रावधान उनके संदर्भ में लागू हो तो इनका का पूर्ण रूप से पालन करना होगा वह इसका समुचित रिकार्ड रखेगा/रखेगी तथा साक्ष्य के तौर पर मासिक बिल के सलग्न रसीद की फोटो प्रतिलिपि देनी अनिवार्य होगी। सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये सभी अनुदेषों / श्रम कानूनों इत्यादि का पूर्ण अनुसरण / निर्वाह करना होगा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, श्रमिक कानूनों, नियमों,अनुदेशों व समय–समय पर सरकार द्वारा इस संबंध में जारी आदेशों इत्यादि की ठेकेंदार द्वारा पालना न करने पर इसकी सम्पूर्ण जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी ।
- 19. C.L. (R&A) एक्ट 1970 सेक्सन 12 (1)की वैधानिक आवश्यकता के अनुरूप ठेकेदार को इस संस्थान में 20 या अधिक श्रमिक नियुक्त करने के लिए वैध लाइसेन्स श्रम कार्यालय से प्राप्त करना होगा और उसकी एक प्रतिलिपि इस संस्थान के कार्यालय में जमा करानी होगी। यदि ये प्रावधान उनके संदर्भ में लागू हो तो।
- 20. यह उचित होगा कि ठेकेदार/फर्म का राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत होना चाहिए (If applicable)
- 21. ठेकेदार को दैनिक कार्यावधि में ही अपने मजदूरों से कार्य करवाना होगा ।
- श्रमिको को श्रम कानूनों के अनुसार स्वास्थ्य एवं कल्याणकारी सुविधाए ठेकेदार द्वारा आवश्यकतानुसार प्रदान करना अनिवार्य होगा।

- ठेकेदार को ठेका कार्य के दौरान मजदूरो को आधारभूत सुविधाएँ ठेका कार्यस्थल पर उपलब्ध करानी होगी जैसे पीने का 23.
- स्वीकृत ठेका का कार्य आदेशानुसार पूर्ण होने के पश्चात पूर्व प्राप्य बिल की तीन प्रतियॉ श्रीमान निदेशक, काजरी जोधपुर के नाम भुगतान हेतु इस संस्थान में प्रस्तुत करनी होगी, जिसका भुगतान संबंधित पी0आई0 / वैज्ञानिक / अधिकारी के द्वारा बिल 24.
- आयकर या अन्य कोई कर इत्यादि की कटौती सरकारी आदेशानुसार एवं नियमानुसार फर्म/ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किए गए 25.
- 26. परिषद्/ संस्थान और श्रमिकों के बीच कोई संबंध नहीं होगा। वे केवल श्रमिक/ठेकेदार/फर्म के संविदा श्रमिक होंगे ।
- 27. काजरी परिसर में जंगली जानवरों, पशु-पक्षियों को नुकसान पहुँचाना या इनका शिकार करना वर्जित है। ऐसा करने वाले उस संविदा मजदूर तथा संबंधित ठेकेदार के विरूद्व आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।
- 28. बिना कारण बताए निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निदेशक, काजरी को होगा । 29. किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में निर्णय का अन्तिम अधिकार निदेशक केo शुoक्षेoअoसo(CAZRI) का होगा।
- 30. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार जोधपुर होगा।

इच्छुक ठेकेदार / फर्म अपनी दर दिनांक 23.04.2024 समय 3.00 बजे तक सील बन्द लिफाफे में निम्न हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में निविदा बॉक्स में डालें। निविदा प्रस्तुति की अंतिम दिनांक व समय के पश्चात कोई निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैंनें / हमने उपर्युक्त समस्त नियम व शर्ते ध्यान से पढली है एवं इनकी अनुपालना के लिए मैं / हम बाध्य रहूँगा / रहेंगें। किसी भी प्रकार की मिथ्या सूचना / कथन, एवं कार्य आदेश दिये जाने पर संविदा कार्य एवं संविदा श्रमिकों के लिए मैं/हमारी फर्म / एजेन्सी पूर्ण जिम्मेवार होंगें।

हस्ताक्षर निविदादाता(मोहर सहित)

ANNEXURE-II

वित्तीय निविदा (Financial Bid)

सेवा में.

निदेशक, काजरी, जोधपुर।

महोदय,

Work Contract for pruning of ber trees located at different sites including main horticulture field and technology park at ICAR-CAZRI, Jodhpur on contract basis के लिए संस्थान के निविदा आंमंत्रण के संदर्भ में निम्नलिखित कार्यों हेतु हमारे द्वारा अग्रांकित दर प्रस्तुत किये जाते हैं:

S.no.	Name of Works	Quantity (Nos.)	Expected period of availibitiy	Rate	Total Amount
1.	Pruning of Ber Trees बेर के पेड़ों की छटाई	1384	April-May 2024	@ RsEach	
			1	Total Rs.	

उपरोक्त कार्य में निम्न कार्य सम्मिलित होगा : --

- पेड़ो की प्रूनिंग तकनिकी अधिकारीयों की देखरेख में करनी होगी। 1.
- प्रूनिंग के अन्तगर्त पेड़ों की शाखाओं को काटना व छटाई करना, छटाई के बाद कटे हुए सिरों पर 2. दवाईयां लगाना (कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग करना) और बेर में छंटाई की गयी सामग्री का संग्रह और निपटान करना शामिल है।

रूपये शब्दों में :

हस्ताक्षर निविदादाता(मोहर सहित)